बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
कौटिल्य नगर, पटना–800014.

ई0 सपलेश्वर मंडल
मुख्य अभियंता,

मोबाईल नं0 : 9471006801

पत्रांक– Reg 1/2456 दिनांक :– ....2023.

कार्यालय आदेश–..209..... / 2023

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा अन्य कार्यों के अतिरिक्त ई–निविदा सूचना सं0– 05 / SBD / 2022–23 के माध्यम से, भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

(2) ई–निविदा की कंडिका–21 एवं 22 में निम्न शर्तें अंकित थी :–

21– अग्रधन के रूप में छः / पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र / बैंक ड्राफ्ट / किसान विकास पत्र / (तीन वर्षीय) डाकघर सावधि जमा / अनुसूचित बैंक का फिक्सड डिपोजित प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय बैंक का बैंक गारंटी, जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैद्य होगा अथवा बैंक गारंटी जो बीड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत कराया जाना अनिवार्य होगा) अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्रफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं0 तथा ग्रुप सं0 अंकित कर समर्पित किया जाय।

22– सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। S.B.D के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जाएगा।

3. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

4. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1785 दिनांक–23.06.2022 के द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1853 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा पुनः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के आलोक में भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य हेतु 03 संवेदकों

के द्वारा यथा–मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन, 2–बबन पाण्डेय, तथा 3–मे0 ए0आर0 कंस्ट्रक्शन द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

7. ई–निविदा सूचना सं0–**05/SBD/2022-23** के उक्त योजना के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया, जिसमें निविदाकार मे0 ए0 आर0 कंस्ट्रक्शन का तकनीकी बीड मूल्यांकन में असफल पाया गया। शेष 02 निविदाकार मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन तथा बबन पाण्डेय का तकनीकी बीड मूल्यांकन में सफल पाया गया।

8. मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन द्वारा निविदा की शर्त सं0–21 एवं 22 के आलोक में पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास द्वारा निर्गत **BG No.- 648200** एवं **BG No.-002805** समर्पित किया गया, जिसकी कुल राशि 10,90,000/– रू0 की थी।

9. उक्त बैंक गारंटी दिनांक–20.07.2022 को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय में समर्पित किया गया। निदेशानुसार उक्त बैंक गारंटी **BG No.- 648200** एवं **BG No.-002805** का सत्यापन, निर्गत बैंक शाखा (पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास से) निगम के पत्रांक–288 (अनु0), पटना दिनांक–14.03.2023 से करायी गयी।

10. निगम के पत्रांक–288 (अनु0), पटना दिनांक–14.03.2023 के अनुपालन में, उक्त दोनों बैंक गारंटी **BG No.- 648200** एवं **BG No.-002805** के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास ने, दिनांक–16.03.2023 को 01:09 अपराह्न को भेजे गये ई–मेल से सूचित किया कि उक्त बैंक के द्वारा निगम के पक्ष में कोई बैंक गारंटी या बैंक सर्टीफिकेट जारी नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया बैंक गारंटी फर्जी प्रकृति का है। उक्त बैंक द्वारा निगम को परामर्श दिया गया कि निविदाकार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय और उनका **KYC** से संबंधित कागजात बैंक को उपलब्ध करायी जाय, ताकि उनके स्तर से भी निविदाकार के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाय। बैंक ने पुनः परामर्श दिया कि उक्त बैंक गारंटी के आधार पर निविदाकार को कोई संविदा आवंटित नहीं की जाय।

11. पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास से बैंक गारंटी के फर्जी होने की सूचना प्राप्त होने पर निगम के पत्रांक–**SE-60** दिनांक–20.03.2023 से मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन से उनके द्वारा जमा की गयी, बैंक गारंटी एवं बैंक सर्टिफिकेट के जाली होने के संबंध में 05 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, किन्तु मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन एवं उनके साझेदारों द्वारा दिनांक–05.04.2023 तक कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

12. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन एवं फर्म के पार्टनर श्रीमती रीमा तिवारी, पति–श्री पंकज तिवारी, स्थायी पता–जगतपुर, पोस्ट–लकरीनवीगंज, जिला–सिवान, पिन कोड–841406, वर्तमान पता–द्वारा पंकज तिवारी, कृष्णा वाटिका, पश्चिमी बेली रोड़, दानापुर सह खगौल, पटना, पिन कोड–801503 तथा अन्य पार्टनर श्री अरबिन्द कुमार, पिता–श्री किशोर श्रीवास्तव, पता–हथसारगंज, निशाद गैस गोदाम के नजदीक, पोस्ट–हाजीपुर, थाना–हाजीपुर टाउन, जिला–वैशाली, पिन कोड–844101 के द्वारा आपराधिक षड़यत्र एवं जालसाजी कर बैंक गारंटी सं0– **BG No.- 648200** एवं **BG No.-002805** को तैयार किया गया और उक्त जाली बैंक गारंटी निगम में समर्पित कर, छल पूर्वक निगम से कार्य आंवटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस जालसाजी के लिये मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन एवं फर्म के दोनों पार्टनर के विरूद्ध हवाई अड्डा थाना, पटना काण्ड सं0–71/2023 दिनांक– 10.04.2023 **U/S** 467/468/471/420/120**B**/511 **IPC** दर्ज की गयी है।

13. तदोपरान्त पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन के दोनों पार्टनर से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11 के तहत, इस कार्यालय के ज्ञापांक–**WA/C-10657/22-23** एच0क्यू0 1210 दिनांक–21.04.23 द्वारा कारण पृच्छा की गयी कि क्यों नहीं उक्त आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं छल करने के आरोप में, फर्म के निबंधन को निलंबित कर उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाय।

14. कारण पृच्छा का जवाब प्राप्त नहीं होने पर, इस कार्यालय के पत्रांक–एच0क्यू0 1684 (अनु0) दिनांक–18.05.2023 के द्वारा मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन के दोनों पार्टनर को जवाब हेतु, पत्र प्राप्ति से, 07 दिन का और समय दिया गया।

15. ऊपर कंडिका–13 में उल्लेखित निगम के पत्र के प्रसंग में पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन की ओर से एक पत्र, पत्रांक–**AAC/2023-24/05** दिनांक–22.05.2023, फर्म के पार्टनर श्री अरबिन्द कुमार के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ। इस पत्र की कंडिका–1 में उल्लेख किया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक, बिक्रमगंज शाखा, रोहतास से बैंक गारंटी फर्जी होने की सूचना प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित निगम का पत्रांक–**SE-60** दिनांक–20.03.2023, उन्हें 12.04.2023 को प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में दिनांक–13.04.2023 को उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। फर्म द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न की गयी है।

पत्रांक–**AAC/2023-24/02** दिनांक–13.04.2023 से प्रेषित उपर्युक्त परिशिष्ट–1 में उल्लेख किया गया है कि " भुलवश मेरे फर्म के कर्मचारी द्वारा **NIT-05/2022-23** के क्रमांक–21 में डाले गये निविदा में बैंक गारन्टी एवं बैंक सटिफिकेट गलत अपलोड कर दिया गया जिसकी जानकारी श्रीमान द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से मुझे हुआ है "।

उपर्युक्त पत्रांक–**AAC/2023-24/05** दिनांक–22.05.2023 की कंडिका–3 में फर्म के द्वारा कहा गया है कि " चूंकि संबंधित मामले में आपराधिक वाद दायर किया जा चुका है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्राथमिकी को आधार बनाकर जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधिन कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा "।

16. पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन की ओर से प्राप्त उपर्युक्त दोनों पत्रांक–**AAC/2023-24/02** दिनांक–13.04.2023 एवं पत्रांक–**AAC/2023-24/05** दिनांक–22.05.23 की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन के उपर आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं छल करने के जो आरोप लगाये गये हैं, वह सही है एवं फर्म के उपर्युक्त पत्रों से इसकी पुष्टि होती है। पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन की ओर से इन तथ्यों का कोई खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु इसे स्वीकार किया गया है।

फर्म की ओर से यह कहना है कि " चूंकि संबंधित मामले में आपराधिक वाद दायर किया जा चुका है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्राथमिकी को आधार बनाकर जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधिन कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा ", सही नहीं है।

किसी फर्म या व्यक्ति के द्वारा किया गया आपराधिक कृत के संबंध में आपराधिक कार्रवाई तथा जालसाजी कर छल पूर्वक कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के

अन्तर्गत कार्रवाई, अलग–अलग प्रावधानों के तहत अलग–अलग कार्रवाई है। फर्म द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है, इसलिये बिहार निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई नहीं करने का कोई वैद्यानिक आधार नहीं बनता है।

17. अतः आपराधिक षडयंत्र के तहत जाली बैंक गारंटी निगम में समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु, बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11.(क).7 के प्रावधानों के तहत, पार्टनरशिप फर्म मे0 अमन अडवीक कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं0–प्रथम 12/2022 (पार्टनर सीप), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, को इस आदेश निर्गत होने की तिथि से, निबंधन की वैद्यता की शेष अवधि अर्थात् दिनांक–02.06.2027 तक के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक–.................................... दिनांक–.............../2023

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (मो0)/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–1 एवं 2/कार्यपालक अभियंता, मोनेटरिंग, बी0ओ0क्यू0, गुणनियंत्रण/कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य प्रमण्डल/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,. बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार अद्यौगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री जितेन्द्र गिरि, वरीय निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक–....1412 1912.... दिनांक–...3/6/.../2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती रीमा तिवारी, पति–श्री पंकज तिवारी, स्थायी पता–जगतपुर, पोस्ट– लकरीनवीगंज, जिला–सिवान, पिन कोड–841406, वर्तमान पता–द्वारा पंकज तिवारी, कृष्णा वाटिका, पश्चिमी बेली रोड़, दानापुर सह खगौल, पटना, पिन कोड–801503, पार्टनर मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन एवं श्री अरबिन्द कुमार, पिता–श्री किशोर श्रीवास्तव, पार्टनर मे0 अमन–अडवीक कंस्ट्रक्शन के निबंधन सं0–प्रथम 12/2022 (पार्टनरशिप), पता–हथसारगंज, निशाद गैस गोदाम के नजदीक, पोस्ट–हाजीपुर, थाना–हाजीपुर टाउन, जिला–वैशाली, पिन कोड–844101 को सूचनार्थ प्रेषित।

3.6.23
मुख्य अभियंता